संख्या-157 जेएल/22-3-2026-ई-2051444

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21.05.2026

विषयः- जिला कारागार, बदॉयू में निरूद्ध विचाराधीन बंदी केशव व चन्द्रशेखर पुत्रगण श्री राजेश को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र/दूरस्थ कारागार पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18917/सामा-1(5)/218/बंदी स्था0/2026, दिनांक 11-05-2026 में की गई संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में तालिका में उसके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम जहां स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4
1-	विचाराधीन बन्दी केशव पुत्र श्री राजेश	जिला कारागार, बदॉयू	जिला कारागार, बॉदा।
2-	विचाराधीन बन्दी चन्द्रशेखर पुत्र श्री राजेश		जिला कारागार, सोनभद्र।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ/बाँदा/सोनभद्र।

3- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ/बाँदा/सोनभद्र।

4- अधीक्षक जिला कारागार, बदायूँ/बाँदा/सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को कारगार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।